॥ सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ॥

मुक्त चिन्तन

News Letter

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत अधिनियम संख्या 10, 1999 द्वारा स्थापित

मुक्त चिन्तन 11 मार्च, 2026

मुक्त विश्वविद्यालय में आईपीआर पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (वित्त पोषित) के संयुक्त तत्वाधान में ''बौद्धिक सम्पदा संरक्षण'' विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 11 मार्च, 2026 को विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित लोकमान्य तिलक शास्त्रार्थ सभागार में आयोजित किया गया। उक्त कार्यशाला के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधीर नारायण जी, (अवकाश प्राप्त) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा मुख्य वक्ता प्रोफेसर मानसी शर्मा, आचार्य, विधि विद्याशाखा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम जी ने की।

उद्घाटन सत्र में अतिथियों का वाचिक स्वागत प्रोफेसर सत्यपाल तिवारी तथा विषय प्रवर्तन प्रोफेसर जे पी यादव ने किया। कार्यशाला का संचालन डॉ गौरव संकल्प एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ सतीश चन्द्र जैसल ने किया। कार्यशाला के अन्तय तकनीकी सत्रों में प्रतिभागियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए।

दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए माननीय अतिथिगण

कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉ0 गौरव संकल्प

विश्वविद्यालय कुलगीत प्रस्तुत करते हुए डॉ0 अनुराग शुक्ला

पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय अतिथियों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यगण

अतिथियों का वाचिक स्वागत करते हुए प्रोफेसर सत्यपाल तिवारी

विषय प्रवर्तन करते हुए प्रोफेसर जे0 पी0 यादव

बौद्धिक संपदा पर जागरुकता की आवश्यकता : प्रोफेसर मानसी

प्रोफेसर मानसी शर्मा जी

मुख्य वक्ता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की विधि विद्या शाखा की प्रोफेसर मानसी शर्मा ने कहा कि बौद्धिक संपदा के संबंध में व्यापक पैमाने पर जागरूकता की आवश्यकता है। मनुष्यों द्वारा प्रतिपादित कोई भी मौलिक रचना, सृजन उसकी बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आती है। इस संपदा को विधिक संरक्षण के द्वारा ही सुरक्षित करना आईपीआर का मुख्य उद्देश्य है। प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी अपनी बौद्धिक संपदा को संरक्षित करें और उसे अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करे। हमें अपने परंपरागत एवं अर्जित ज्ञान रचना, निर्माण आदि को डिजिटल माध्यम में सुरक्षित करना चाहिए।

बौद्धिक संपदा के लिए छात्रों में जागरुकता उत्पन्न करें विश्वविद्यालय –न्यायमूर्ति सुधीर नारायण

माननीय न्यायमूर्ति सुधीर नारायण जी

उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में बुधवार को आयोजित बौद्धिक संपदा अधिकार पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति सुधीर नारायण ने कहा कि बौद्धिक संपदा को वैश्विक स्तर पर सुरक्षित करने के लिए बड़े कानूनी बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि भारत में बौद्धिक संपदा के संबंध में जो भी नियम लागू हैं वह वैश्विक स्तर पर मान्य नहीं हैं।

न्यायमूर्ति नारायण ने बौद्धिक संपदा अधिकार को विधिक परिपेक्ष्य में समझाते हुए बताया कि आईपीआर को लेकर भारत में अभी किसी अधिनियम का निर्माण नहीं किया गया। जिस प्रकार कॉपीराइट एक्ट की व्यवस्था है वैसी कोई व्यवस्था आईपीआर को लेकर नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में बड़े कदम उठाने चाहिए जिससे कि छात्रों के बीच जागरूकता उत्पन्न की जा सके।

मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधीर नारायण जी को अंगवस्त्र, पौधा एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करते हुए माननीय कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम जी

माननीय कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम जी को अंगवस्त्र, पौधा एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करते हुए मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधीर नारायण जी एवं विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यगण

माननीय अतिथियों को सम्मानित करते हुए विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यगण

आईपीआर को और सशक्त एवं व्यापक बनाया जाए : प्रोफेसर सत्यकाम

अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने कहा कि बौद्धिक संपदा कभी अर्थपरक नहीं थी वरन् वह भारत में जनकल्याण के लिए हमेशा प्रयोग में लाई जाती रही। हमारे ऋषि मुनियों के पास बौद्धिक संपदा थी, ज्ञान था लेकिन उसका संबंध व्यवसाय से नहीं था। पश्चिमी सभ्यता में व्यवसाय महत्वपूर्ण हुआ। वाह विद्या से जुड़ा, बौद्धिकता से जुड़ा और उसका विस्तार हो गया।

प्रोफेसर सत्यकाम ने कहा कि नवीन तकनीक और उनके उपभोग एवं प्रयोग के संबंध में आईपीआर को और सशक्त एवं व्यापक बनाया जाए। इसके साथ ही कृतिम बुद्धिमत्ता के दौर में बौद्धिक संपदा को सुरक्षित करने के लिए निहित कानून एवं नियमों का पालन करते हुए हमें उनको संदर्भित अवश्य करना चाहिए।

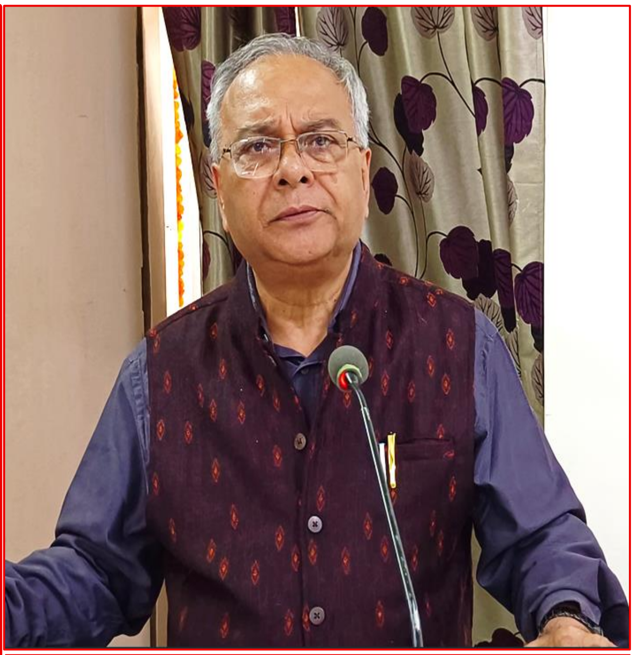

माननीय कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम जी

धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आयोजन सचिव डॉ0 सतीश चन्द्र जैसल

राष्ट्रगान

समापन सत्र

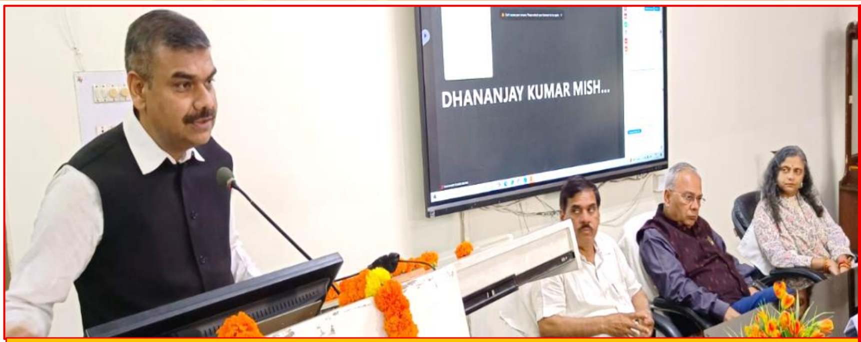

समापन सत्र का संचालन करते हुए प्रोफेसर देवेश रंजन त्रिपाठी

राष्ट्रीय कार्यशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए डॉ0 गौरव संकल्प

शोध प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर पी के पाण्डेय ने तकनीकी सत्र में बौद्धिक जगत से संबंधित शोध क्षेत्र में इसकी अनुप्रयोग के संबंध में जानकारी दी। समाज विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ त्रिवक्रम तिवारी ने बौद्धिक संपदा के अधिकार राजनीतिक संदर्भों का उल्लेख किया। डॉ संतोष भारती ने बौद्धिक संपदा अधिकार एवं एआई के प्रयोग पर विस्तार से प्रकाश डाला। निदेशक शिक्षा विद्याशाखा प्रोफेसर पी के स्टालिन ने कहा कि कॉपीराइट में जेल तक हो सकती है और जुर्माने का भी प्रावधान है। प्रबंधन विद्याशाखा के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ गौरव संकल्प ने कहा भारतीय वैदिक ग्रंथों की ज्ञान परम्परा का उल्लेख किया। डॉ अतुल कुमार मिश्र सहायक आचार्य मानविकी विद्याशाखा ने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार के दार्शनिक पक्ष पर अपने विचार रखे। असिस्टेंट प्रोफेसर मानविकी विद्याशाखा डॉ सतेंद्र कुमार ने कहा कि बौद्धिक संपदा को लेकर जागरूकता की आवश्यकता है। प्रबंधन विद्याशाखा प्रोफेसर देवेश रंजन त्रिपाठी ने बौद्धिक संपदा से जुड़ी छह श्रेणियों के बारे में जानकारी प्रदान की। इस दौरान प्रतिभागियों ने अपनी जिज्ञासाएं प्रकट की और अपने सुझाव प्रस्तुत किए। डॉ0 गौरव संकल्प ने रिपोर्ट प्रस्तुत की।

माननीय अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान करते हुए विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यगण

अपने–अपने अनुभव साझा करते हुए प्रतिभागीगण

समापन सत्र में मुख्य वक्ता प्रोफेसर मानसी शर्मा ने शोधार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया।

अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने इस अनूठे आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन निरंतर होने चाहिए।

राष्ट्रगान